न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2021(2021/00257)

1.अलका जैन पत्नि संजय जैन जाति महाजन निवासी मैन चौराहा आर आउट साईट कटला बाजार किशनगढ़ जिला अजमेर
2.धर्मेन्द सिंह पुत्र मोतीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3.लक्ष्मण खोखर पुत्र भंवरलाल खोखर जाति जाट विासी वार्ड नंबर 40 पनघट के पास किशनगढ़ जिला अजमेर —प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—

1. अल्का जैन पत्नि संजय जैन— प्रार्थीयॉ
2. तहसीलदार केकड़ी —पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 24.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित है:—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	रकबा (है0)	किस्म
1745—1733	619/5117	0.30	नहरी—2
	620	0.21	नहरी—2
	621	0.51	नहरी—2

इस आराजी मे आने जाने हेतु निम्नलिखित भूमि मे से होकर जाना पड़ता है जो सिवायचक भूमि है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1—1	623	2.16	नहरी—2

उक्त वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु मौके पर कोई रास्ता नहीं है ना ही नक्शा ट्रेस मे आने जाने का कोइ रास्ता दर्शित है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात आने जाने हेतु खसरा नंबर 263 मे से ही दक्षिण दिशा की तरफ से कणोज रोड़ के आम रास्ते से होकर आते जाते है। उक्त रास्ते का ही आने जाने हेतु उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त रास्ते के अलावा उक्त [illegible] पर आने जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। उक्त वर्णित आराजीयात खसरा [illegible] मे से प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात मे आने जाने हेतु 30 फीट के रास्ते की [illegible] प्रार्थीगण के रास्ते मे आने वाली भूमि की राशि नियमानुसार [illegible] के लिए तैयार एवं [illegible] आराजीयात काबिज काश्त भूमि है तथा अप्रार्थी लैण्डलोर्ड होने के कारण पक्षकार बना[illegible] है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को [illegible] नोटिस तलब किया गया।

मौका पर्चा रिपोर्ट पत्र कमांक/भू.अ./2021/7779 दिनांक 17.09.2021 से प्रस्तुत की है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार ग्राम बघेरा के खसरा नंबर 619/5117,620,621 आवेदक की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रेकार्डेड रास्ता खसरा नंबर 638 के पश्चात सिवायचक भूमि खसरा नंबर 623 मे से आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगणं के खेत से निकटतम दूरी पर स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 638 मे उपलब्ध है। प्रतिकर राशि खसरा नंबर 623 मे से 9.17 मीटर चौडा,तथा 286 मीटर लंबा कुल 2623 मीटर कुल भूमि आती है। डी0एल0सी0 के अनुसार 2623 मीटर गुणा 4,60000गुणा 2 कुल 240,488रू अक्षरे दो लाख चालीस हजार चार सौ अठ्ठासी रूपया प्रतिकर राशि बनती है। प्रार्थीगण डी0एल0सी0 दर के अनुसार प्रतिकर राशि अदा करने के लिए तैयार है।

मैने वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व मौका पर्चा रिपोर्ट तहसीलदार केकड़ी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतः ग्राम बघेरा के खसरा नंबर नंबर 623 मे से 9.17 मीटर चौड़ा,तथा 286 मीटर लंबा कुल 2623 मीटर रास्ता जो प्रार्थी के खेत तक जाता है, की लम्बाई तक राजस्व रेकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ते का रूप मे तहसीलदार केकडी दर्ज करे तथा नियमानुसार प्रतिकर की राशि प्रार्थीगण से गणना कर 240,488रू राजकोष मे जमा करायी जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner